रजिस्टर्ड नं0 BP/13/SML/2003.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, बुधवार, 12 मार्च, 2003/21 फाल्गुन, 1924

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

विधायी (अंग्रेजी) शाखा

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 मार्च, 2003

संख्या एल0 एल0 आर0-डी0 (6)-12/2002-लैज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 14-01-2003 को यथा अनुमोदित हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण

4089-राजपत्र/2003-12-3-2003—1,448. (3619) मूल्य : एक रुपया।

(विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002 (2002 का विधेयक संख्यांक 12) को वर्ष 2003 के हिमाचल प्रदेश अधिनियम संख्यांक 2 के रूप में अनुच्छेद 348 (3) के अधीन उसके अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करते हैं।

आदेश द्वारा,

जे० एल० गुप्ता,
सचिव (विधि)।

2003 का अधिनियम संख्यांक 2.

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2002

(माननीय राष्ट्रपति द्वारा तारीख 14 जनवरी, 2003 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (1969 का 15) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के तिरपनवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम।

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2002 है ।

धारा 2 का संशोधन।

(1969 का 15) 2. हिमाचल प्रदेश भूमि अन्तरण (विनियमन) अधिनियम, 1968 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 2 में,—

(क) खण्ड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ङ ङ) "ग्राम पंचायत" से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8 के अधीन स्थापित एक संस्था अभिप्रेत है; और

(1994 का 4)

(ङ ङ ङ) "ग्राम सभा" से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 4 के अधीन स्थापित निकाय अभिप्रेत है;" ।

(1994 का 4)

(ख) खण्ड (च) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(1994 का 4)

"(च च) "पंचायत" से, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 के अधीन गठित ग्राम पंचायत या पंचायत समिति या जिला परिषद् अभिप्रेत है;" ।

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में, उप-धारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(1) अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति, सिवाए राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुज्ञा से, किसी भूमि में किसी निर्मित परिसर सहित अपना हित, विक्रय, बंधक, पट्टे, दान के रूप में या अन्यथा किसी व्यक्ति को, जो ऐसी जनजाति से सम्बन्ध नहीं रखता है, अन्तरित नहीं करेगा :

परन्तु राज्य सरकार, ऐसी अनुज्ञा देने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम सभा या पंचायतों से समुचित स्तर पर परामर्श करेगी :

परन्तु यह और कि इस उप-धारा की कोई बात निम्नलिखित किसी अन्तरण को,—

(क) किराया पर किसी इमारत के पट्टे के रूप में; और

(ख) ऋण प्राप्त करने के लिए, किसी सहकारी भूमि बन्धक बैंक या किसी सहकारी सोसाइटी को बन्धक द्वारा, जिसके सभी सदस्य अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित हैं; लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं के विकास के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अधीन भूमि का अर्जन करने के लिए, राज्य सरकार की लिखित पूर्व अनुज्ञा और ग्राम सभा या पंचायतों का समुचित स्तर पर पूर्व परामर्श अपेक्षित होगा और अनुसूचित क्षेत्रों में, ऐसी परियोजनाओं द्वारा बेदखल किए व्यक्तियों को पुनः बसाये जाने या पुनर्वास करने से पूर्व, अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं की वास्तविक योजना एवं कार्यान्वयन राज्य स्तर पर समन्वित किया जाएगा ।"। 1894 का

धारा 4 का संशोधन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उप-धारा 3 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(3) अनुज्ञा की मंजूरी के लिए किसी आवेदन की प्राप्ति पर, वित्तायुक्त आवेदन को, उपायुक्त को निर्देशित करेगा और उपायुक्त, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसी वह उचित समझे, अपनी टिप्पणियों सहित आवेदन को आयुक्त को प्रस्तुत करेगा जो भूमि के ऐसे अन्तरण के बारे में अपनी राय अभिलिखित करने के पश्चात् आवेदन राज्य सरकार के अभिनिश्चय के लिए अग्रेषित करेगा और राज्य सरकार सम्यक् विचारण के पश्चात् अनुज्ञा देगी या इन्कार करेगी :

परन्तु जहां अनुज्ञा से इन्कार किया जाता है या दी जाती है, वहां राज्य सरकार ऐसे इन्कार को, आवेदक के साथ-साथ ग्राम सभा या पंचायतों को भी समुचित स्तर पर संसूचित करेगी ।"।

(ख) उप-धारा 4 में, —

(i) "उपायुक्त" शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं भी ये आते हैं, "राज्य सरकार" शब्द रखे जाएंगे; और

(ii) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(ग ग) सम्बन्धित ग्राम सभा और सम्बन्धित पंचायतों की समुचित स्तर पर सिफारिशें;" और

धारा 5 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (1) में "राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त" शब्दों के पश्चात् "पंचायतों द्वारा समुचित स्तर पर" शब्द और चिन्ह अन्तः-स्थापित किए जाएंगे ।

धारा 6 का प्रतिस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

"6. अपील.— (1) धारा 5 के अधीन किए गए आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश के संसूचित किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर आयुक्त को अपील कर सकेगा :

परन्तु यह कि आयुक्त, उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी, अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारण से समय पर अपील दायर करने से निवारित किया गया था।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति पर आयुक्त, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् अपील का शीघ्र निपटारा करेगा।"।

धारा 6-क का अन्तः-स्थापन।

7. मूल अधिनियम की धारा 6 के पश्चात् निम्नलिखित धारा 6-क अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"6-क. पुनर्विलोकन.—राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या हितबद्ध पक्षकार के निवेदन पर, पर्याप्त और ठोस कारण के लिए धारा 4 के अधीन इस द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकेगी :

परन्तु राज्य सरकार, सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना और ग्राम सभा या सम्बन्धित पंचायत से समुचित स्तर पर नया परामर्श लिये बिना अपने पूर्वतन आदेशों को उलटने या उपान्तरित करने वाला कोई आदेश पारित नहीं करेगी।"।

धारा 7 का प्रतिस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"7. आदेशों की अन्तिमता.—धारा 6 के अधीन अपील में आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश, और केवल ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए, उपायुक्त या धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी अथवा ग्राम पंचायत द्वारा दिया गया आदेश अन्तिम होगा।"।

धारा 9 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 9 में, "दो सौ" और "पचास" शब्दों के स्थान पर, क्रमशः शब्द "पांच हजार" और "पांच सौ" रखे जाएंगे।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 2 of 2003.

THE HIMACHAL PRADESH TRANSFER OF LAND (REGULATION) AMENDMENT ACT, 2002

(AS ASSENTED TO BY THE PRESIDENT ON 14TH JANUARY, 2003)

AN

ACT

further to amend the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (Act No. 15 of 1969).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Fifty-third Year of the Republic of India, as follows:—

Short title.

1. This Act may be called the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Amendment Act, 2002.

Amendment of section 2.

2. In section 2 of the Himachal Pradesh Transfer of Land (Regulation) Act, 1968 (hereinafter referred to as the 'principal Act'),— 15 of 1

(*a*) after clause (*e*), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(*ee*) "Gram Panchayat" means an institution as established under section 8 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 ; 4 of 19

(*eee*) "Gram Sabha" means a body established under section 4 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 ; "; and 4 of 19

(*b*) after clause (*f*), the following clause shall be inserted, namely:—

"(*ff*) "Panchayat" means a Gram Panchayat or a Panchayat Samiti or a Zila Parishad constituted under the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994;". 4 of 19

Amendment of section 3.

3. In section 3 of the principal Act, for sub-section (1), the following shall be substituted, namely:—

"(1) No person belonging to Scheduled Tribes shall transfer his interest in any land including any constructed premises by way of sale, mortgage, lease, gift or otherwise to any person not belonging to such tribes except with the previous permission in writing of the State Government :

Provided that the State Government before according such permission shall consult the Gram Sabha or Panchayats at the appropriate level :

Provided further that nothing in this sub-section shall apply to any transfer,—

(*a*) by way of lease of a building on rent ; and

(*b*) by way of mortgage, for securing loan, to any Co-operative Land Mortgage Bank or to any Co-operative Society, all members of which belong to Scheduled Tribes:

Provided further that previous permission in writing of the State Government and prior consultation of Gram Sabha or Panchayats at appropriate level shall be required for making the acquisition of land
894 under Land Acquisition Act, 1894 in the scheduled areas for development of projects and before re-settling or rehabilitating persons evicted by such projects in the scheduled areas, the actual planning and implementation of the projects in the scheduled areas shall be co-ordinated at the State level.".

Amendment of section 4.

4. In section 4 of the principal Act,—

(*a*) for sub-section (3), the following shall be substituted, namely:—

"(3) On receipt of any such application for the grant of permission, the Financial Commissioner shall refer the application to the Deputy Commissioner and the Deputy Commissioner, after making such inquiry, as he thinks fit, shall submit the application with his remarks to the Commissioner who after recording his opinion about such transfer of land shall forward the application to the State Government for decision, and the State Government after due consideration shall grant or refuse the permission :

Provided that where permision is refused, the State Government shall record in writing the reasons for such refusal and shall communicate such refusal to the applicant as well as to the Gram Sabha or panchayats at the appropriate level."; and

(*b*) in sub-section (4),—

(*i*) for the words "Deputy Commissioner", wherever these occur, the words "State Government" shall be substituted; and

(*ii*) after clause (*c*), the following clause shall be inserted, namely :—

"(*cc*) recommendations of the concerned Gram Sabha or Panchayats at the appropriate level ; and".

Amendm of sectio 5.

5. In section 5 of the principal Act, in sub-section (1), after the words and sign "the State Government in this behalf,", the words and sign " or the Panchayats at the appropriate level," shall be inserted.

Substitution of section 6.

6. For section 6 of the principal Act, the following shall be substituted, namely :—

"6. **Appeal.**—(1) Any person aggrieved by an order made under section 5 may, within thirty days from the date of communication of the order, prefer an appeal to the Commissioner :

Provided that the Commissioner, may entertain the appeal after the expiry of the said period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) On receipt of an appeal under sub-section (1), the Commissioner shall dispose of the appeal expeditiously after giving the appellant an opportunity of being heard.".

Insertion of section 6-A.

7. After section 6 of the principal Act, the following new section 6-A shall be inserted, namely :—

"6-A. **Review.**—The State Government may review its order passed under section 4 for sufficient and good reasons *suo motu* or on an application of an interested party :

Provided that the State Government shall not pass any order reversing or modifying its previous orders without giving the parties concerned an opportunity of being heard, and fresh consultation of the Gram Sabha or Panchayat concerned at the appropriate level.".

Substitution of section 7.

8. For section 7 of the principal Act, the following shall be substituted , namely:—

"7. **Finality of orders.**—The orders made in appeal by the Commissioner under section 6 and, subject only to such order, the order made by the Deputy Commissioner or any other officer authorised in writing by the State Government under section 5 or the Panchayats at the appropriate level shall be final.".

Amendment of section 9.

9. In section 9 of the principal Act, for the words "two hundred" and "fifty", the words "five thousand" and "five hundred" shall be substituted respectively.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित